

Crime-I
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत...उपखण्ड अधिकारी मुकाम...खीवसर.....

सोहनलाल बनाम भानूसिंह

किस्म मुकदमा... राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

नं. 10 सन् 2022

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम तामील जारी हुए
	19.01.2022	

प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस से तलब किया जावे तथा मिराल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 22.02.2022 को पेश हो ।

सहारा  कलक्टर
खीवसर

01/2/22

वकील प्रार्थी-क निवेदन
पर-उपखण्ड अधिकारी केस-हुं
वकील प्रार्थी-क निवेदन किया-
की-रम-पुत्राकरा-क मारु-
श्रीमान-के-कुछ-के-इतिहास
इ-पुत्राकरा-की-रम-के-पुत्राकरा-
नके-यादो-के-तथा-प्रीति-विशेष
(प्रीति-विशेष-प्रीति)

Bishnoi
Identified by me
Kumhar

के-वकील प्रार्थी-क निवेदन
पर-उपखण्ड अधिकारी-की-रम-
की-रम-के-पुत्राकरा-के-
वकील प्रार्थी-क निवेदन-पर
प्रीति-विशेष-प्रीति-विशेष-
के-पुत्राकरा-के-पुत्राकरा-
की-रम-की-रम-के-पुत्राकरा-के

श्री
Bishma



सिद्धांत

श्रीमान् ज्योतिषी, कल-२२ एवं
कारण्डव्य अधिकारी शशिदेव खेडिया

प्राची

वनाम

अपुर्णगता

आनुष्ठिक कोश

सोहन भाव

प्राची-ना-५३ अधीन धारा २१७ के अंतर्गत
आवेदन पत्रों पत्रावली कागजी गरीस पेठों
पर लेकर अरिषे विशेषण कारित करवाना है।

भा.प.व.र.जी

प्राची के अंतर्गत निम्न आवेदन पत्र हैं -

(१) यह है कि उपरोक्त अनवान का प्राची-ना-५३ धारा
२२-२-२५-५३ में विचार अधीन चल रहा है (कमाली गरीस)
२२-२-२५-५३ है।

(२) यह है कि उपरोक्त अनवान में राजी-नामा हो
सुका है राजी-नामा सुका प्राची-ना-५३ को विशेषण
करना है कागजी गरीस चलाया है। उपरोक्त पत्रावली
को कागजी गरीस पेठों पर लेकर अरिषे विशेषण
कारित करवाना है।

(३) यह है कि प्राची को आवेदन होने पर प्राची-ना-५३
पुनः पेश करने की अनुमति के माध्यम विशेषण
करना चाहता है।

अतः पत्रावली को कागजी गरीस पेठों पर
लेकर प्राची के पुनः प्राची-ना-५३ पेश करने के लिए
सुरक्षित रखते हुए प्राची-ना-५३ जारी के विशेषण कारित
करवाना है।

दिनांक ०१-०१-२०२२

शशिदेव खेडिया
अरिषे अधिकारी प्राची

Bishma